छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

ः अधिसूचनाः

क्मांक / 3 | 65 / एफ – 8 / 78 / NCIP / 2015 / 14 – 2

रायपुर दिनांक 🥬 09 / 2015

खरीफ 2015 के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित अधिसूचनाओं के माध्यम से उनके समक्ष दर्शाये अनुसार फसलें अधिसूचित की गयी है:-

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचित फसलें
1.	क्रमांक—1381, दिनांक 23.06.2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग।
2.	क्रमांक—2328, दिनांक 30.07.2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग।
3.	क्रमांक—2619, दिनांक 17.08.2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग।
4.	क्रमांक—2673, दिनांक 19.08.2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग।
5.	क्रमांक—2875, दिनांक 25.08.2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग, धान सिंचित।
6.	क्रमांक—3079, दिनांक 03.09.2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग, धान सिंचित।

उक्त अधिसूचनाओं में अधिसूचित फसलों के लिए अऋणी कृषकों हेतु विभाग की अधिसूचना क्रमांक—3079 दिनांक 03.09.2015 द्वारा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक—No-13017/04/2014-Credit-II(Pt.2) दिनांक 02 सितंबर, 2015 में निहित शर्तों के अध्यधीन (परिशिष्ट—1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के अन्तर्गत फसल बीमा की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2015 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2015 की जाती है।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार (परिशिष्ट-1)

(प्रदीप कुमार दवे) संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग रायपुर दिनांक () > / 09 / 2015

पृष्ठां. क. / 3 | 6 6 / एफ – 8 / 78 / NCIP / 2015 / 14 – 2 प्रतिलिपि: –

- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास, मत्स्यपालन, जल संसाधन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग. शासन।
- 3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
- 4. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन। 🕦

अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अम्बादीप 5. बिल्डिंग 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110 001 पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर। 6. आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर। 7. संचालक कृषि / संस्थागत वित्त / आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ.ग. रायपुर। 8. कलेक्टर, जिला-..... (समस्त), छत्तीसगढ़। 9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, रायपुर। 10. नेशनल स्टेस्टिकल सर्वे आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली। 11. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैत्री नगर, रायपुर। 12. समन्वय, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, बैरन बाजार, रायपुर। 13. क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर। 14. क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर। 15. क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंडरी रायपुर। 16. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर उक्त अधिसूचना राजपत्र में 17. प्रकाशनार्थ प्रेषित। संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा। 18. उप संचालक कृषि, जिला-....(सर्व)। 19.

> संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

क्रमांक | 966/अ.मु.स./कृ.सह.ग्रामो./१८ स. दिनांक ०७७ | ऽ

BY FAX MAIL SPEED 10:

Sas Ad

No.- 13017/04/2014-Credit- II(Pt.2)
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agri. & Cooperation

Krishi Bhavan, New Delhi Dated 2nd September, 2015

To

Principal Secretary (Agri./Cooperation)/APC,

State Government of Bihar, Chhatisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Telengana & West Bengal

Subject: National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)- Extension of cut-off date for participation of non- farmers under NAIS during Kharif 2015 -reg.

Sir,

I am directed to refer to the letters received from the State Government of Government of Bihar, Chhatisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Telengana & West Bengal on the subject mentioned above and to inform that the matter has been examined in consultation with the implementing agency i.e. Agriculture Insurance Company (AIC) of India Ltd.

It is informed that keeping in view of the prevailing climatic conditions of the State, particularly delay in sowing of the crops in the season, this Department has agreed to extend the cut off date <u>upto 15th September, 2015</u> for participation of non-loanee farmers under NAIS during Kharif 2015, as a special case in the interest of farming community subject to the following conditions.:

i. The extension would be applicable only to the crops sown during extended period i.e. 1st August, 2015 to 15th September, 2015

ii. The condition of the crop concerned on the date of submission of proposal by the farmer to the bank/PACS should be normal and the same will have to be confirmed in the proposal form

iii. Farmers should furnish the area sown certificate form to the appropriate authority along with the proposal form, which is to be kept in their record for future reference

The coverage during the extended period should be restricted upto Normal Coverage only i.e. upto value of Threshold Yield. No additional coverage beyond TY should be granted

v. The cut off date for receipt of declaration by the AIC from the bank(s) in respect of coverage for extended period will be 30th September, 2015

vi. State Governments & AIC will provide wide publicity for coverage of farmers.

This issues with the approval of the competent authority.

Jan 4

Yours faithfully

(Dr. Ashish Kumar Bhutani), Joint Secretary(Credit & Coop.)

Tele: 011-2338 9208

Jeech iv